

मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा.दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी  
प्रकरण सं. 5/2019 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
रूदीबाई पत्नी नाथूलाल मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादड़ी

—वादीया

—: बनाम :-

- 1- रामलाल पिता सीताराम मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- मीराबाई पत्नी रामलाल मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —  
मौजा सिरोड़ पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

1- रूदी बाई पत्नी नाथूलाल मोग्या सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
295/2	0.27	3.51
1	0.27	3.51

2- रामलाल पिता सीताराम 2/3 मीरा बाई प. रामलाल मोग्या 1/3 निवासी सिरोड़

आ. नं.	रकबा	लगान
295/1	0.80	10.40
1	0.80	10.40

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दरा से ब्याज सहीत..... को दी जावे। यह आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी

न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/ 267

दिनांक : 26/11/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



सहायक कलक्टर  
बड़ीसादड़ी



## निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादडी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादडी  
प्रकरण सं. 5/2019 वादपत्र धारा 53 आर.टी.एक्ट. 1955  
रुदीबाई पत्नी नाथूलाल मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादडी

—वादीया

—: बनाम :-

- 1- रामलाल पिता सीताराम मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादडी
- 2- मीराबाई पत्नी रामलाल मोग्या नि. सिरोड. तहसील बड़ीसादडी
- 3- राज्य सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादडी

— प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादडी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बंटवाड़ा वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि और आदेश डिक्री दी जाती है कि —  
मौजा सिरोड़ पटवार हल्का खेरमालिया की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है।

- 1- रुदी बाई पत्नी नाथूलाल मोग्या सा. देह खातेदार

आ. नं.	रकबा	लगान
295/2	0.27	3.51
1	0.27	3.51

- 2- रामलाल पिता सीताराम 2/3 मीरा बाई प. रामलाल मोग्या 1/3 निवासी सिरोड़


आ. नं.	रकबा	लगान
295/1	0.80	10.40
1	0.80	10.40

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

मोहर



  
प्रवीण कुमार मीणा (आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर  
बड़ीसादडी